



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 2( )परावि/प्रशा.1/वि.अ./संस्था/एसीबी/बहरोड/2017/

1252

जयपुर दिनांक:- 30/5/17

—: आदेश :-

श्री शीशराम यादव, RRDS, विकास अधिकारी, पंचायत समिति बहरोड (अलवर) को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दिनांक 10.5.17 को रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाकर पी. सी. एक्ट 1988 की धारा 7,11,13(1)(डी), 13(2) एवं भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत धारा 120 बी के तहत अपराध संख्या 109/2017 दर्ज कर तफतीश जारी की गयी है।

अतः श्री यादव को राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13(1)(बी) के अन्तर्गत गिरफ्तारी दिनांक 10.5.2017 से निलम्बित (Deemed to have been suspended) किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे अविलम्ब अपनी उपस्थिति पंचायती राज विभाग, मुख्यालय जयपुर पर प्रस्तुत करेंगे।

(गिरीश पाराशर)

संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.1)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके परिपत्र दिनांक 14.12.2000, 10.8.2001 एवं 19.9.2013 के क्रम में आदेश की पुष्टि करने हेतु प्रेषित है।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवम् आयुक्त पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, आयुक्त, नरेगा, राजस्थान जयपुर।
8. संभागीय आयुक्त, जयपुर।
9. जिला कलक्टर, अलवर।
10. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर प्रथम/द्वितीय।
11. अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर प्रथम।
12. अतिरिक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अलवर।
13. विकास अधिकारी पंचायत समिति बहरोड (अलवर)।
14. श्री शीशराम यादव, RRDS, विकास अधिकारी, पंचायत समिति बहरोड (अलवर) को निर्देशित किया जाता है कि वे पंचायती राज विभाग, मुख्यालय पर इस प्रयोजनार्थ रखी गयी उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति अंकित करेंगे तथा बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।
15. एसीपी मुख्यालय को एक प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करावें।
16. आदेश पत्रावली/निजी पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.1)